

अध्याय II
बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि
पर कर

अध्याय-11: बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं द्वारा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत देय माल और सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार उसे कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रशासन के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। इसमें 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां	कमी (प्रतिशत में)
2015-16	252	413	665	181	484	73
2016-17	484	468	952	426	526	55
2017-18	526	468	994	526	468	47
2018-19	468	467	935	847	88	9
2019-20	88	467	555	486	69	12

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

विभाग ने अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार किया है तथा लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों की संख्या में वर्ष 2015-16 के बाद से उल्लेखनीय कमी हुई है। विभाग को इकाइयों की लक्षित संख्या को पूर्ण करने के लिये इस कार्यप्रणाली को भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2020 को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,826 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार विवरण निम्न तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2

वर्ष	2014-15 तक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
अनुच्छेद	4,677	520	585	1,666	1,635	2,743	11,826

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

11,826 अनुच्छेदों में से 4,677 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पांच साल से अधिक समय से बकाया थे। विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्षों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हो तथा राजस्व संग्रह को अधिकतम किया जा सके।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग में 485 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, इनमें से लेखापरीक्षा ने 132 इकाइयों, जिनमें 4.31 लाख कर-निर्धारण किये गये, का वर्ष 2019-20 के दौरान नमूना जांच के लिए चयन किया। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 12,494 (लगभग 3 प्रतिशत) कर निर्धारणों की नमूना जांच की तथा 613 प्रकरण (लेखापरीक्षा नमूनों का लगभग 4.91 प्रतिशत) कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण, आगत कर की अनियमित स्वीकृति, घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण, निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर लगाया जाना एवं नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने आदि के देखे गये जिनमें राशि ₹ 71.23 करोड़ शामिल थी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं, क्योंकि यह अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा में समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व वर्षों में भी दर्शाई गई थी, तथापि न केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा तक ध्यान में नहीं आ सकी। पाई गयी अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गई तालिका 2.3 में निम्न श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	कर का अवनिर्धारण	234	25.28
2	त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना	1	0.09
3	क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर की अपवंचना	85	15.05
4	आगत कर को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृत करना	128	10.53
5	अन्य अनियमिततायें:		
	(i) राजस्व से संबंधित	152	20.21
	(ii) व्यय से संबंधित	13	0.07
	योग	613	71.23

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने 1,170 प्रकरणों में ₹ 56.87 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 128 प्रकरण जिनमें ₹ 0.95 करोड़ की राशि शामिल थी, वर्ष 2019-20 में लेखापरीक्षा के दौरान जबकि शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 245 प्रकरणों में ₹ 16.36 करोड़ वसूल/समायोजित किये, जिनमें से राशि ₹ 14.36 लाख के 14 प्रकरण वर्ष 2019-20 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (नवम्बर 2019 एवं मार्च 2020 के बीच) के पश्चात छः व्यवहारियों से मुक्ति शुल्क के अनारोपण, आगत कर की अनियमित स्वीकृति एवं अंतर्राज्यीय बिक्री के अवनिर्धारण से संबंधित आक्षेपित राशि ₹ 0.91 करोड़ में से ₹ 0.88 करोड़ स्वीकार कर वसूल/समायोजित किए (जून 2020 एवं अक्टूबर 2020 के बीच) जबकि ₹ 0.03 करोड़ वसूल किये जाने शेष थे। इन अनुच्छेदों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण जिनमें ₹ 10.72 करोड़ सन्निहित हैं, की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है। इस संबंध में यह उल्लेख करना भी उचित है कि इनमें से अधिकांश मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं तथा गत वर्षों के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित किये गये हैं जिनमें सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गई। यद्यपि यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गई जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे तथा विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफलता से समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

2.4 आगत कर का लाभ

2.4.1 आगत कर का अनियमित लाभ दिया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय शाखा हस्तान्तरण द्वारा राज्य से बाहर भेजे गये माल पर आगत कर का अधिक लाभ अनुमत्य किया

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से किसी कर योग्य माल के क्रय पर आगत कर का लाभ इस हेतु निर्धारित तरीके एवं सीमा तक दिया जावेगा। राज्य सरकार ने वैट अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये ऐसे माल, जो किसी वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, तथा ऐसे निर्मित माल का शाखा हस्तान्तरण के माध्यम से राज्य के बाहर प्रेषण किया गया हो, पर राज्य में चुकाये गये कर पर चार प्रतिशत से अधिक के आगत कर लाभ के दावे को अनुमत्य किया था। इसके अतिरिक्त, वैट अधिनियम की धारा 61(2)(ब) के अनुसार यदि किसी व्यवहारी द्वारा आगत कर का गलत लाभ लिया जाता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा तथा ऐसे व्यवहारी पर गलत आगत कर लाभ की राशि की दुगुनी शास्ति का आरोपण करेगा।

वृत्त-ए भिवाड़ी के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (सितम्बर 2019) कि दो व्यवहारियों ने 2016-17 के दौरान राशि ₹ 62.09 करोड़ का माल राज्य के भीतर कर की निर्दिष्ट दरों से क्रय किया तथा सम्पूर्ण कर योग्य माल की स्वरीद पर ₹ 3.23 करोड़ के आगत कर का लाभ लिया। इसमें राशि ₹ 13.46 करोड़ के फर्नेस ऑयल की स्वरीद शामिल थी जिस पर ₹ 0.74 करोड़ के आगत कर का दावा किया गया था। व्यवहारियों ने

अपने कुल प्रेषित माल का क्रमशः 74.55 एवं 75.74 प्रतिशत के मूल्य का माल शाखा हस्तान्तरण के माध्यम से राज्य के बाहर प्रेषित किया। इस प्रकार कुल ₹ 13.46 करोड़ मूल्य के फर्नेस ऑयल में से ₹ 10.11 करोड़ मूल्य के ऑयल का उपयोग ऐसे माल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया जिसे राज्य के बाहर हस्तांतरित किया गया था।

चूँकि खरीदे गये माल के एक भाग को माल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया था तथा ऐसे निर्मित माल को राज्य के बाहर हस्तांतरित किया गया था, अतः व्यवहारियों को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 में वर्णित सीमा (चुकाए गये कर के चार प्रतिशत से अधिक) तक ही आगत कर लाभ देय था। इसका अर्थ यह है कि फर्नेस ऑयल पर ₹ 0.33 करोड़ का आगत कर लाभ दावा योग्य था। कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2018) इस अनियमितता का पता नहीं लगा सके तथा व्यवहारियों द्वारा दावा की गई आगत कर लाभ राशि ₹ 0.74 करोड़ को ही अनुमत्य कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप फर्नेस ऑयल के क्रय पर ₹ 0.41 करोड़ के अनियमित आगत कर अनुमत्यता के साथ ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

सरकार को चूक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया (जून 2020)। सरकार ने बताया (अगस्त 2020) कि सम्पूर्ण राशि ₹ 0.61 करोड़ की माँग जारी की गई, जिसमें से ₹ 0.05 करोड़¹ वसूल कर लिये गये थे तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बकाया शेष माँग के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया गया था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.2 अधिक आगत कर को रिवर्स करने का अभाव

रियायती मूल्य पर माल के विक्रय पर आगत कर का अनियमित रूप से लाभ दिया जाना

वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(3)(ए) के अनुसार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी यदि कोई माल राज्य में खरीदा जाता है और इसके पश्चात रियायती मूल्य पर विक्रय किया जाता है तो इस धारा के अन्तर्गत ऐसे माल पर आगत कर, निर्गत कर से अधिक अनुमत्य नहीं होगा।

तीन वृत्तों² के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के बीच) कि तीन व्यवहारियों ने राज्य के भीतर माल क्रय किया तथा बाद में रियायती मूल्यों पर विक्रय किया।

तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अधिक आगत कर को रिवर्स नहीं किया तथा व्यवहारियों द्वारा दावा किये गये आगत कर को ही अनुमत्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.37 करोड़ का अनियमित आगत कर अनुमत्य किया गया।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि दो प्रकरणों में विगत वर्षों के उपलब्ध आगत कर के विरुद्ध ₹ 0.22

1 एक व्यवहारी से ₹ 3.12 लाख एवं दूसरे से ₹ 2.00 लाख

2 वृत्त-एल, जयपुर, वृत्त-बी बीकानेर एवं वृत्त-बी अजमेर।

करोड़ समायोजित कर लिये गये तथा ₹ 0.04 करोड़³ वसूल किये गये जबकि शेष प्रकरण में नोटिस जारी किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.3 कर आरोपण का अभाव

क्रय वापसी पर रिवर्स कर आरोपण का अभाव

वैट अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अनुसार किसी पंजीकृत व्यवहारी की किसी कर अवधि में चुकाये जाने वाले कर की गणना निर्धारित सूत्र⁴ के अनुसार की जावेगी। वैट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों को आगत कर का लाभ राज्य के भीतर किसी पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये कर योग्य माल के सम्बन्ध में निर्धारित तरीके से व सीमा तक दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त वैट अधिनियम की धारा 2(33) के अनुसार धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत लिये गये आगत कर के लाभ को रिवर्स किया जावेगा।

चार वृत्तों⁵ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्यारह व्यवहारियों ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अपनी त्रैमासिक विवरणियों (वैट-10) में क्रय वापसी घोषित की थी।

तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी इन व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2017 से जनवरी 2019 के बीच) इस क्रय वापसी को हिसाब में लेने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.15 करोड़ के रिवर्स कर के आरोपण का अभाव रहा।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि दस प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की मांग सृजित की गई, जिसमें से विगत वर्षों के उपलब्ध आगत कर के समक्ष ₹ 1.03 करोड़ समायोजित कर लिये गये जबकि शेष प्रकरण⁶ में नोटिस जारी किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.4 वैट के जमा शेषों का अधिक अग्रेषण

कर निर्धारण प्राधिकारी कुल कर दायित्व निर्धारण की गणना में रिवर्स कर दायित्व को जोड़ने में विफल रहे तथा त्रुटिपूर्ण रूप से वैट के अंतर्गत अधिक राशि को सीएसटी बकाया के समायोजन के लिए अग्रेषित किया

वैट अधिनियम 2003 की धारा 17(1) के अनुसार किसी पंजीकृत व्यवहारी द्वारा किसी कर अवधि के लिये देय शुद्ध कर की गणना निर्गत कर में रिवर्स कर जोड़कर तथा आगत कर लाभ को घटाकर की जावेगी। आगे इस धारा की उपधारा 2 के अनुसार यदि उपधारा 1 के अन्तर्गत

3 ब्याज ₹ 0.16 लाख सहित।

4 टी=(ओ+आर+पी)-आई जहाँ टी चुकाये जाने योग्य शुद्ध कर; ओ निर्गत कर; आर रिवर्स कर राशि; पी धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर एवं आई आगत कर राशि है।

5 वृत्त-एल, जयपुर, विशेष वृत्त-V, जयपुर, विशेष वृत्त -VII, जयपुर एवं वृत्त-ए, हनुमानगढ़।

6 विशेष वृत्त-V, जयपुर।

देय शुद्ध कर की राशि ऋणात्मक है तो उसे पहले सीएसटी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय किसी कर अथवा बकाया राशि के समक्ष समायोजित किया जावेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम, भिवाड़ी के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (सितम्बर 2019) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी विवरणियों में निर्गत कर में ₹ 0.45 करोड़ रिवर्स कर जोड़ते हुए कुल कर दायित्व दर्शाया था। कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी के कर निर्धारण को संशोधित करते समय (मई 2019) व्यवहारी के कुल कर दायित्व की गणना में रिवर्स कर जोड़ने में विफल रहे तथा वैट के अन्तर्गत अधिक चुकाई गई राशि सीएसटी के बकाया के समायोजन हेतु अग्रेषित की। ध्यान में लाये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने वैट कर निर्धारण में संशोधन किया (सितम्बर 2019) तथा कुल कर दायित्व में रिवर्स कर ₹ 0.45 करोड़ जोड़ दिया किन्तु सीएसटी बकाया को आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाया गया।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जून 2020)। सरकार ने बताया (जुलाई 2020) कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स कर दायित्व का प्रभाव देते हुए कर निर्धारण को संशोधित कर दिया (सितम्बर 2019) तथा सीएसटी बकाया में ₹ 0.42 करोड़ की वृद्धि कर दी (₹ 0.97 करोड़ से ₹ 1.39 करोड़), जबकि शेष ₹ 0.03 करोड़ गत वर्षों के अग्रेषित किये गये अधिक आगत कर जमा में से समायोजित किये गये। इसके अतिरिक्त संशोधित सीएसटी बकाया पर ब्याज में भी ₹ 0.12 करोड़ की वृद्धि की गई। यह भी बताया गया कि मांग आगत कर मिलान न होने तथा घोषणा पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के कारण बकाया है जिसके लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.5 आगत कर की अनियमित स्वीकृति

कर निर्धारण प्राधिकारी ने गैर अनुमत्य सामान पर आगत कर स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई

वैट अधिनियम 2003 की धारा 18 की उपधारा (1) (ई) के अनुसार आगत कर लाभ पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य के भीतर किसी पंजीकृत व्यवहारी से कर योग्य माल की स्वरीद पर, जिसका उपयोग माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में किया गया हो, के संबंध में अनुमत्य होगा। आगे, अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार, विनिर्माण में माल का प्रत्येक प्रसंस्करण शामिल होता है जो वाणिज्यिक रूप से एक अलग एवं विशिष्ट वस्तु अस्तित्व में लाता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-1, अजमेर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (अक्टूबर 2019) कि एक व्यवहारी, जो चूना-पत्थर के स्वनन एवं सीमेन्ट के विनिर्माण के व्यवसाय में कार्यरत था, ने वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1.77 करोड़ एवं ₹ 1.92 करोड़ मूल्य के विस्फोटक राज्य के अन्दर से क्रय किये तथा इस क्रय पर ₹ 0.26 करोड़ एवं ₹ 0.28 करोड़ आगत कर लाभ का दावा किया। अधिनियम की धारा 2(22) के अन्तर्गत स्वनन कार्य विनिर्माण की परिभाषा में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त विस्फोटक सीमेन्ट के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं

किये जा सकते हैं। अतः व्यवहारी को विस्फोटकों के क्रय पर आगत कर लाभ स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2018 व दिसम्बर 2018) अनियमितता का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ अनियमित आगत कर अनुमत्यता के अतिरिक्त ₹ 0.26 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

सरकार को प्रकरण से अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि ₹ 0.80 करोड़⁷ की मांग सृजित की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.5 कर योग्य बिक्री पर कर का अनारोपण

व्यवहारी ने 2015-17 के वर्षों के लिये 'शून्य' बिक्री के साथ विवरणियाँ प्रस्तुत की, किन्तु वास्तव में अन्य पंजीकृत व्यवहारियों को माल का विक्रय किया तथा कर संग्रहित किया, जिसके लिये कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कर का अनारोपण हुआ

राजस्थान वैट नियम 2006 के नियम 19(5) के अनुसार व्यवहारियों द्वारा प्रारूप वैट 7 ए में क्रय के विवरण तथा प्रारूप वैट 8 ए में विक्रय के विवरणों के साथ त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-I, कोटा के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (जनवरी 2020) कि एक व्यवहारी ने 2015-17 के वर्षों के लिये 'शून्य' बिक्री के साथ विवरणियाँ प्रस्तुत की। आगे *राजविस्टा* के माध्यम से जनित रिपोर्ट की जाँच में ज्ञात हुआ कि व्यवहारी ने वर्ष 2015-17 के दौरान अन्य पंजीकृत व्यवहारियों को ₹ 7.36 करोड़ मूल्य का माल बेचा तथा ₹ 0.40 करोड़ कर संग्रहण किया।

तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2018 व सितम्बर 2018) अनियमितता का पता नहीं लगा सके तथा '*राजविस्टा*' पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.40 करोड़ व ब्याज ₹ 0.20 करोड़ का अनारोपण हुआ (मार्च 2020 तक)।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जून 2020)। सरकार ने बताया (जुलाई 2020) कि सम्पूर्ण राशि की मांग सृजित कर दी गई थी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

7 कर ₹ 0.54 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.26 करोड़

2.6 कर का अनारोपण

कर योग्य पण्यावर्त वाले व्यवहारी का 'शून्य' कर निर्धारण

वैट अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के अनुसार किसी व्यवहारी के कर योग्य पण्यावर्त पर अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी दर के अनुसार कर आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ए, हनुमानगढ़ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (नवम्बर 2019) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2016-17 के लिये अपनी विवरणियों में ₹ 13.16 करोड़ का सकल पण्यावर्त घोषित किया जिसके लिये देय कर ₹ 0.29 करोड़ था। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने 'शून्य' कर के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किया (दिसम्बर 2018)।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.29 करोड़ कर के अतिरिक्त ₹ 0.14 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ (मार्च 2020 तक)।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने बताया (अगस्त 2020) कि व्यवहारी ने कर मुक्ति (ई.सी.) प्रमाण-पत्र के समक्ष संकर्म संविदा का निष्पादन किया था जिसके लिए राज्य के बाहर से कर योग्य माल क्रय किया गया था। इसके फलस्वरूप कर निर्धारण आदेश को संशोधित किया गया (जुलाई 2020) तथा ₹ 0.45 करोड़ की कुल मांग सृजित की गई जो आंशिक रूप से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) ₹ 0.11 करोड़ तथा उपलब्ध आगत कर जमा ₹ 0.06 करोड़ के समक्ष समायोजित की गई। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.7 घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी ने घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई

केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 की धारा 10(ए) सपठित धारा 10(डी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 8(3)(बी)⁸ में वर्णित किसी उद्देश्य हेतु किसी माल के क्रय के पश्चात ऐसे वर्णित उद्देश्य के लिये माल का उपयोग करने में विफल रहता है, तो वह प्राधिकारी, जिसने उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया है, अधिनियम की धारा 8(2) के तहत इस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की डेढ़ गुणा राशि से अनाधिक शास्ति आरोपित कर सकता है।

8 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(3)(बी) में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकृत डीलर द्वारा स्वरीद के उद्देश्य है: उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या विक्रय हेतु माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए या दूरसंचार नेटवर्क में या स्वनन में या विद्युत या उर्जा के अन्य रूप के उत्पादन या वितरण में उपयोग।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-ए, उदयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (अगस्त 2019) कि एक व्यवहारी, जो बार एवं रेस्टोरेंट संचालन के व्यवसाय में कार्यरत था, ने वर्ष 2016-17 के दौरान घोषणा पत्र 'सी' के विरुद्ध ₹ 0.60 करोड़ मूल्य के माल के रूप में एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एवं टाईल्स का क्रय राज्य के बाहर से किया। व्यवहारी द्वारा इस माल का उपयोग धारा 8(3)(बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया। अतः व्यवहारी 14.5/15 प्रतिशत, जो लागू हो, की दर से देय कर की डेढ़ गुणा शास्ति ₹ 0.13 करोड़ के लिये उत्तरदायी था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2018) निर्धारित शास्ति ₹ 0.13 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि ₹ 0.13 करोड़ की मांग सृजित की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.8 अंतर्राज्यीय खरीदों पर कर का अनारोपण

कर मुक्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत निष्पादित संकर्म में प्रयुक्त माल की अंतर्राज्यीय खरीद पर कर का अनारोपण

अधिसूचना क्रमांक एफ 12(23)/वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9 मार्च, 2015 की शर्त 5.1(अ) के अनुसार कोई व्यवहारी, जिसने उपबंध 1 के विकल्प 'ए' के अन्तर्गत कर के बदले कर मुक्ति शुल्क के भुगतान का विकल्प लिया है, संकर्म संविदा के निष्पादन हेतु कर योग्य माल का क्रय राज्य के अंदर राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से करेगा। आगे, शर्त 5.1(ब) के अनुसार यदि ऐसा व्यवहारी शर्त 5.1(अ) में निर्धारित रीति के अलावा अन्य रीति से किसी माल का क्रय अथवा प्रापण करता है तो वह कर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त ऐसे कर की राशि के बराबर राशि भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा, जो राज्य में पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय करने पर देय होती।

विभागीय वेब एप्लीकेशन *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना की जाँच में ज्ञात हुआ कि तीन वृत्तों⁹ में छः व्यवहारियों ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान राज्य के बाहर से राशि ₹ 5.22 करोड़ का माल¹⁰ खरीदा। इस माल का उपयोग ऐसे संकर्मों के निष्पादन में किया गया जिनके लिये उपरोक्त वर्णित अनुसार विकल्प 'ए' के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अतः ऐसे माल पर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त 5/ 5.5/14.5 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 0.39 करोड़ का वैट आरोपणीय था। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस माल पर कर का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.39 करोड़ कर के अतिरिक्त ₹ 0.15 करोड़ ब्याज (मार्च 2020 तक) का कम आरोपण हुआ।

9 वर्क्स टैक्स-प्रथम, जयपुर, वृत्त, करौली एवं वृत्त, ए हनुमानगढ़।

10 पाइप एवं फिटिंग, बिटुमिन, आइरन शीट, स्टील ढाँचा, तार, केबिल ट्रे, किट प्लाई, एल्युमिनियम, पैनल, एमएस स्टील ट्यूब, पेन्ट, मशीन, एमएस फ्लेट आदि।

चूक सरकार के ध्यान में लायी गई (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि समस्त प्रकरणों में मांग सृजित कर दी गई थी, जिसमें से तीन व्यवहारियों से ₹ 13.27 लाख वसूल/समायोजित कर लिये गये थे तथा शेष व्यवहारियों से वसूली के प्रयास किये जा रहे थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

विनिर्दिष्ट माल पर प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च 2011, 14 जुलाई 2014 एवं 09 मार्च 2015 के अनुसार राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया।

15 वाणिज्यिक कर कार्यालयों¹¹ के मूल्य परिवर्धित कर (वैट) निर्धारण अभिलेखों के साथ प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान 29 व्यवहारियों ने ₹ 133.45 करोड़ मूल्य का माल राज्य के बाहर से क्रय किया। व्यवहारियों ने अपनी संबंधित वैट विवरणियों में इस माल का विक्रय नहीं बताया था जो यह दर्शाता है कि इस माल का उपयोग, उपभोग हेतु अथवा व्यवसाय में किया गया था, जिसके कारण ऐसे माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था। माल के क्रय से संबंधित संपूर्ण सूचना वेब आधारित एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध थी तथा सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों के लिए सुलभ थी। तथापि संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय प्रवेश कर के आरोपण एवं राजस्व रिसाव को रोकने हेतु उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ प्रवेश कर तथा ₹ 1.63 करोड़ ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

सरकार को चूक के बारे में अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (जनवरी 2021) कि 20 प्रकरणों में ₹ 2.86 करोड़¹² की मांग सृजित की जा चुकी है, जिसमें से 11 प्रकरणों में ₹ 0.76 करोड़¹³ वसूल किये गये जबकि नौ प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.10 माल और सेवा कर की लेखापरीक्षा

माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विविध क्रियाकलापों का निष्पादन जीएसटीएन के सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है तथा इसलिये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संवैधानिक प्राधिकार की पूर्ति हेतु लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक है कि

11 स. आ. विशेष वृत्त-पाली, विशेष-प्रथम, जोधपुर, एन जयपुर, विशेष बीकानेर, बी-बीकानेर, बी-जोधपुर, विशेष-1 भिवाडी, एल-जयपुर, जे-जयपुर, वर्क्स टैक्स-1 एवं ॥ जयपुर, विशेष- सप्तम जयपुर, चुरु, ए-श्रीगंगानगर एवं ए-जयपुर।

12 कर= ₹ 1.90 करोड़, ब्याज= ₹ 0.96 करोड़

13 कर= ₹ 0.60 करोड़, ब्याज= ₹ 0.16 करोड़

भौतिक अभिलेखों पर आधारित नमूना जाँच के स्थान पर समस्त संव्यवहारों के डिजिटल अभिलेखों की सम्यक जाँच की जाए। तथापि बारम्बार अनुरोध के उपरान्त भी राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 149) एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 18 की अनदेखी करते हुए जीएसटी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान नहीं की। परिणामस्वरूप जीएसटी प्रतिदायों की मात्र सीमित लेखापरीक्षा जाँच ही की जा सकी। लेखापरीक्षा आक्षेप कतिपय दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ, जो लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध करवाई गई, पर आधारित हैं। संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में राज्य की जीएसटी प्राप्तियों की सम्यक लेखापरीक्षा हेतु राज्य कर विभाग के जीएसटी बैकएंड सिस्टम पर एक्सेस की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा जीएसटीएन परिसर में पैन-इंडिया डेटा तक पहुँच प्रदान करने के निर्णय को 22 जून 2020 को सूचित किया गया था। जीएसटी सिस्टम तक पहुँच प्रदान करने की प्रशासनिक कार्रवाई राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2020 में शुरू की गई थी और पहुँच दिसंबर 2020 में प्रदान की गयी।

2.10.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने जीएसटी के अन्तर्गत स्वीकृत प्रतिदायों, एक प्रक्रिया जो सितम्बर 2019 तक मैनुअल थी, की नमूना जाँच की। राजस्थान में, जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान 7,815 प्रतिदाय के मामले स्वीकृत किये गये। 2019-20 के दौरान, चयनित 40 विभागीय इकाइयों में स्वीकृत किये गये 2,514 प्रतिदाय के मामलों में से लेखापरीक्षा ने 265 प्रतिदाय के मामलों (10.54 प्रतिशत) की जांच की तथा छः करदाताओं (2.26 प्रतिशत) से संबंधित ₹ 1.50 करोड़ के अनियमित प्रतिदाय स्वीकृत करने के प्रकरण ध्यान में लाये गये। राज्य सरकार ने सभी प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया तथा पाँच प्रकरणों में राशि ₹ 0.18 की सम्पूर्ण वसूली के बारे में अवगत कराया। उदाहरण स्वरूप एक प्रकरण की चर्चा नीचे की गई है:

2.10.2 अनियमित प्रतिदाय अनुमत्य किया जाना

माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत अप्रयुक्त आगत कर लाभ का अनियमित प्रतिदाय।

केंद्र सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 एवं क्रमांक 12/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 द्वारा अधिसूचित किया कि केन्द्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की अनुसूची II की मद संख्या 5 की उपमद (ख) में उल्लिखित सेवाओं की आपूर्ति¹⁴ के मामले में आगत कर का प्रतिदाय अनुमत्य नहीं होगा। उपरोक्त को राज्य सरकार ने राजस्थान जीएसटी (आरजीएसटी) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (56) वित्त/ कर/2017-भाग-I-53 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा अधिसूचित किया।

14 सेवा की आपूर्ति: 'वहाँ के सिवाय जहाँ समापन प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने या प्रथम अधिभोग के पश्चात, जो भी पहले हो, पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया गया है, कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग, जिसके अंतर्गत किसी क्रेता को पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए आशयित किसी कॉम्प्लेक्स या भवन सम्मिलित है, का संनिर्माण।'

कार्यालय सहायक आयुक्त, वृत्त-एल, जयपुर के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया (अक्टूबर 2019) कि एक करदाता ने केंद्रीय/राजस्थान जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान माह सितम्बर-नवम्बर 2017 व फरवरी-नवम्बर 2018 के लिये राशि ₹ 0.91 करोड़¹⁵ के अप्रयुक्त आगत कर के प्रतिदाय का दावा किया। चूंकि करदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ यथा सड़कों, पुलों आदि का निर्माण केन्द्रीय/राज्य जीएसटी अधिनियम की अनुसूची-II की मद 5 (ख) के अन्तर्गत 'सेवा की आपूर्ति' में आती हैं, अतः करदाता अप्रयुक्त आगत कर लाभ के प्रतिदाय के दावे हेतु योग्य नहीं था। तथापि, क्षेत्राधिकारी ने करदाता द्वारा किये गये दावे के अनुसार प्रतिदाय अनुमत्य किया।

इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.91 करोड़ का अनियमित प्रतिदाय होने के अतिरिक्त इस राशि पर आरजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत ब्याज भी देय था।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (जनवरी 2021) कि ₹ 1.32 करोड़ (कर ₹ 0.91 करोड़, ब्याज ₹ 0.32 करोड़ तथा शास्ति ₹ 0.09 करोड़) की माँग सृजित की गई थी।

15 आईजीएसटी: ₹ 30.31 लाख, सीजीएसटी: ₹ 30.36 लाख तथा एसजीएसटी: ₹ 30.36 लाख.